

**अन्तिम डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई**

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर)**

पीठासीन अधिकारी- अनिल कुमार, आर.ए.एस.

रामलाल

बनाम

बंशीधर आदि

**दावा बाबत बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा**

दावा मुकदमा नं. 248/2016

निर्णय दिनांक- 08.05.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु अनिल कुमार, आरएएस व हाजिरी .....  
रुबरु ..... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जा है कि वादी का वाद तहसीलदार,  
लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर खसरा सं. 267/1 रकबा 1.34  
हैक्टेयर जिसके नये खसरा सं. 600 वाके ग्राम बरु तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में अंतिम डिक्री  
निम्न प्रकार से दी जाती है-

| खातेदार का नाम  | खसरा सं. | रकबा          | किस्म | लगान |
|---|----------|---------------|-------|------|
| 1. श्रीराम पुत्र मुकन्ददास रमा 0.33 मूलचंद पुत्र<br>मुकन्ददास रकबा 0.67 जाति स्वामी सा. देह | 600 मीन  | 1.00 हैक्टेयर | बा.2  | 6.00 |
| 2. रामलाल पुत्र मांगीलाल जाति स्वामी सा. देह  | 600 मीन  | 0.33 हैक्टेयर | बा.2  | 1.98 |

तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा।  
उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग-अलग खसरान को अलग-अलग हिस्से  
अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग-अलग लगान कायम कर  
राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किया जावे। रहन यथावत रहेगा। अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में  
इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को तहरीर जारी हो।

बीज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमें के मय शूद व शरह .....  
.... फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तक .....को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08.05.2018 को जारी की गई।

सत्यमेव जयते

(अनिल कुमार)

उपखण्ड अधिकारी

लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

कैम्प- लालासी

| वादी                             | रूपया | प्रतिवादी                        | रूपया |
|----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प       |       | 1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प     |       |
| 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प     |       | 2. अर्जी के लिए स्टाम्प          |       |
| 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प      |       | 3. प्लीडर की फीस                 |       |
| 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस   |       | 4. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय |       |
| 5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय |       | 5. आदेशिका की तामिल              |       |
| 6. कमिश्नर की फीस                |       | 6. कमिश्नर की फीस                |       |
| 7. आदेशिका की तामिल              |       |                                  |       |
| जोड़                             |       | जोड़                             |       |

(अनिल कुमार)

उपखण्ड अधिकारी

लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

कैम्प- लालासी

| <p>08.05.2018</p>  | <p>पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत— न्याय आपके द्वार— 2018 के तहत आयोजित कैम्प लालासी में पेश हुई। प्रतिवादी सं. 2, 5 ता 7 स्वयं उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव का भी अवलोकन किया। उपरोक्त अवलोकन के उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा व उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ के पत्रांक/न्याय/2018/39 दिनांक 08.05.2018 के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा मुताबिक वाद अनुरूप है, सही प्रतीत होता है। साथ ही प्रकरण के बारे में कैम्प स्थल पर मज्मे-आम से भी पूछताछ की गई। उपस्थित पक्षकारान ने बंटवारे पर सहमति प्रकट की। प्रस्ताव न्यायालय के प्राथमिक डिक्री व रिकार्ड के अनुसार ही होना प्रकट होता है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाता है। अतः प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर खखसरा सं. 267/1 रकबा 1.34 हैक्टेयर जिसके नये खसरा सं. 600 वाके ग्राम बऊ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में निम्नानुसार विभाजन किया जाकर पृथक-पृथक खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है—</p> <table border="1" data-bbox="381 801 1344 970"> <thead> <tr> <th>खातेदार का नाम</th> <th>खसरा सं.</th> <th>रकबा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. श्रीराम पुत्र मुकन्ददास रमा 0.33 मूलचंद पुत्र मुकन्ददास रकबा 0.67 जाति स्वामी सा. देह</td> <td>600 मीन</td> <td>1.00 हैक्टेयर</td> </tr> <tr> <td>2. रामलाल पुत्र मांगीलाल जाति स्वामी सा. देह</td> <td>600 मीन</td> <td>0.33 हैक्टेयर</td> </tr> </tbody> </table> <p>तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग-अलग खसरा को अलग-अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग-अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रहन यथावत रहेगा। अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हाकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दपतर अभिलेखागार हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी<br/>लक्ष्मणगढ़ (सीकर)</p> | खातेदार का नाम | खसरा सं. | रकबा | 1. श्रीराम पुत्र मुकन्ददास रमा 0.33 मूलचंद पुत्र मुकन्ददास रकबा 0.67 जाति स्वामी सा. देह | 600 मीन | 1.00 हैक्टेयर | 2. रामलाल पुत्र मांगीलाल जाति स्वामी सा. देह | 600 मीन | 0.33 हैक्टेयर |  |
|--|---|----------------|----------|------|--|---------|---------------|--|---------|---------------|--|
| खातेदार का नाम   | खसरा सं.  | रकबा           |          |      |  |         |               |  |         |               |  |
| 1. श्रीराम पुत्र मुकन्ददास रमा 0.33 मूलचंद पुत्र मुकन्ददास रकबा 0.67 जाति स्वामी सा. देह | 600 मीन   | 1.00 हैक्टेयर  |          |      |  |         |               |  |         |               |  |
| 2. रामलाल पुत्र मांगीलाल जाति स्वामी सा. देह   | 600 मीन   | 0.33 हैक्टेयर  |          |      |  |         |               |  |         |               |  |